अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., स0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्याः 525/2013

जगदीश राम —— पुनरीक्षणकर्त्ता

वनाम

राज्य —— रेस्पोण्डेन्ट/विपक्षी

—:: आदेश ::—

प्रस्तुत अपील वाद पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 30.09.2013 ई0 अन्दर आपूर्ति अपील वाद संख्या 07/2012–13 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

पुनरीक्षणकर्त्ता/अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद में संक्षेप में मामला यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सत्तर कटैया ने अपने अपने पत्रांक 114–2 दिनांक 04.12.2012 के माध्यम से पुनरीक्षणकर्त्ता के विरूद्ध माह जनवरी' 2012 व फरवरी' 2012 का खाद्यान्न का पे– इन– स्लीप जमा नहीं किये जाने वो मार्च 2012 व मार्च 2012 का आधा– अधूरा पे –इन– स्लीप जमा किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सहरसा को समर्पित किया गया वो अनुमंडल पदाधिकारी–सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर सहरसा के द्वारा प्रखंण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सत्तर कटैया से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक 3176–2 दिनांक 15.12.2012 द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता से स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया वो पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा अनुमण्डल कार्यालय से प्राप्त पत्र के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया वो स्ष्टीकरण को असंतोषप्रद मानते हुए पुनरीक्षकर्त्ता के अनुज्ञप्ति संख्या 282/07 को ज्ञापांक 521–2 दिनांक 28.12.12 द्वारा रद्द किया गया वो उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 नं0 2975/2013 दाखिल किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2013 को आवेदक को अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दाखिल करने हेतु निदेश दिया गया वो उक्त निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी– सह– समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में आपूर्ति अपील वाद संख्या 07/2012–13 दाखिल किया गया वो दिनांक 30.09.2013 को जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा आदेश पारित करते हुए अपील को खारिज कर दिया गया जिससे मर्माहित होकर इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है ।

पुनरीक्षणकर्त्ता/अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि पुनरीक्षणकर्त्ता पूर्व से जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति संख्या 07/2004 का अनुज्ञप्ति धारक विक्रेता है वर्ष 2004 से दुकान चला रहे है पुनः नये प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)

आदेश 2001 के तहत अनुज्ञापन पदाधिकारी– सह– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर सहरसा के द्वारा उचित मूल्य की दुकान ग्रामः पटोरी, प्रखण्ड/अंचलः सत्तर कटैया, जिलाः सहरसा हेतु अनुज्ञप्ति संख्या 282/2007 निर्गत किया गया वो पुनरीक्षणकर्त्ता अनुज्ञप्ति में वर्णित सभी सेवा शर्त्तो, कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का अक्षरशः पालन करते हुए विभागीय दिशा एवं निर्देशों के अनुरूप विभाग द्वारा सप्रदर्शित विहित समय के अनुसार पे– इन–स्लीप जमा कर व खाद्यान्न का उठाव कर व ससमय दुकान खोलकर उठाव किये गये आवश्यक वस्तुओं का वितरण राशन कार्डधारक उपभोक्ताओं के बीच उसके हकदारी के मात्रानुरूप उचित मुल्य लेकर वितरण कर दुकान को सही संचालन करते चले आ रहे थे वो आम लाभुक उपभोक्ताओं का कभी भी कोई शिकायत नहीं हुआ और न है बतलाते हैं।

पुनरीक्षणकर्त्ता/अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सत्तर कटैया का व्यवहार व आचरण सम्पूर्ण प्रखण्ड के डीलर के साथ अच्छा नहीं था तथा मनमानी रूप से डीलरों को परेशान व तबाह करते हुए कमीशन के रूप में पैसे की वसूली करने लगे व अनुज्ञप्ति रद्द करवाने की धमकी देकर आवेदक सहित सभी डीलर का शोषण करने लगे, जिससे तंग आकर पुनरीक्षणकर्त्ता सहित प्रखंड से सभी अनुज्ञप्तिधारी डीलर द्वारा जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा एवं अन्य को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सत्तर कटैया के विरूद्ध दिनांक 29.03.2012 को आवेदन निबंधित डाक से भेजा गया तथा यह तथ्य दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ। आगे कथन करते हैं कि पुनरीक्षणकर्त्ता व अन्य अनुज्ञप्तिधारक डीलरों द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सत्तर कटैया के विरूद्ध वरीय पदाधिकारी के समक्ष किये गये शिकायत से आक्रोशित होकर व अपने पद व प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सत्तर कटैया ने अपने पत्रांक 114–2 दिनांक 04.12.2012 के माध्यम से पुनरीक्षणकर्त्ता के विरूद्ध सरासर गलत आरोप लगाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, सहरसा को जॉच प्रतिवेदन भेजा गया बतलाते हैं।

दूसरी ओर विशेष लोक अभियोजक बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि पुनरीक्षणीकर्त्ता पर लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित है। अतएवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही बतलाते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन से परिलक्षित होता है कि निम्न न्यायालय में पुनरीक्षणकर्त्ता/अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय एवं मौका दिया गया तथा समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा मामले की विस्तृत सुनवाई कर विधिसम्मत एवं न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। अस्तु आपूर्ति पुनरीक्षण वाद खारिज। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

24/1/2014
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

24/1/2014
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा